(2021) 9 एस 0 सी0 आर 0 335

उड़ीसा राज्य

बनाम्

प्रतिमा मोहन्ती वगैरह।

आपराधिक अपील संख्या 2021 का 1455-1456

11 दिसम्बर, 2021

(एम 0 आर 0 शाह एवम् बी0 वी0 नागरत्ना, जे0 जे0)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 – एक प्राथमिकी धारा 420 के साथ पठित 120 बी भा०द०वि० और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारायें 13 (2) और धारा 13(1)(डी) के तहत भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बी. डी. ए.) और राज्य के आवास और विकास विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज किया गया था, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने एक आपराधिक साजिश रचकर, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अपने और अपने रिश्तेदारों के बीच न्यूनतम दरों पर प्रमुख भूखंड वितरित किए-पांच अभियुक्त व्यक्तियों ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया - उच्च न्यायालय ने आवेदनों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मूल अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त अभियुक्तों ने आवंटन फाइल को किसी भी तरह से नहीं देखा है और ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि इनमें से किसी भी अभियुक्त ने किसी भी सह- अभियुक्त या बी. डी. ए. या एच. एंड यू. डी. विभाग के किसी अधिकारी को प्रभावित किया हो अवैध रूप से भूखंड प्राप्त करने के लिए-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय ने आरोपों के गुण-दोष में प्रवेश किया है और उन साक्ष्यों का विस्तार से तौल करके लघु विचारण किया, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा और अभिनिर्धारित किया है कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सतर्कता कोषांग द्वारा गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला भजन लाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है- उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के है, क्योंकि बी. डी. ए. और सरकारी खजाने को हुए भारी नुकसान के संबंध में विशिष्ट आरोप है, जैसे कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भूखंडों को कम कीमत पर आवंटित किया गया था-इन सभी पहलुओं पर विचारण के चरण में विचार किया जाना आवश्यक है न कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पर विचार करते समय। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता - अभियुक्त संख्या 3,4 और 5 के

खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और रद्द कर दिया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 के तहत अभिखण्डन- अभिखण्डन की शक्ति सावधानीपूर्वक और दुर्लभ मामलों में एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए - कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, एक प्राथमिकी/परिवाद की जांच करते समय, जिसे अभिखंडित करने की मांग की जाती है, न्यायालय प्राथमिकी/परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में कोई जांच शुरू नहीं कर सकती है- प्राथमिकी/परिवाद का अभिखण्डन कोई सामान्य नियम नहीं बल्कि एक अपवाद होना चाहिए - आम तौर पर, आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जब गहन जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।

सार्वजनिक संपत्ति-भूखंडों का आवंटन- अभिनिर्धारित: सरकार और/या बी. डी. ए. जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण जनता की संपत्तियों के संरक्षक है- सार्वजनिक- संपत्तियों का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना चाहिए-ऐसे मामलों मे, सार्वजनिक हित का ही केवल प्रमुख मार्गदर्शक विचार होना चाहिए- सर्वोत्तम या अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए जिस्से सार्वजनिक उद्देश्य और लोक हित की पूर्ति हो सके ताकि प्राधिकरण और/या सरकारी खजाने को नुकसान न हो-विवेकाधीन कोटे में भूखंडों का आवंटन सत्तासीन व्यक्तियों और/या लोक सेवकों की इच्छा पर नहीं हो सकता है जो विवेकाधीन कोटे में भूखंडों के आवंटन को देख रहे हैं।

आपराधिक अपील न्यायाधिकारक्षेत्र: आपराधिक अपील संख्या 2021 का 1455-1456

आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2017 का 3177 और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2015 का 4804 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 04.09.2019 के निर्णय और आदेश से।

गौरव खन्ना, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

भक्ति वर्धन सिंह, तीर्थ कुमार साहु, सौम्या रंजन पैकरे, राजेश कुमार, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **एम 0 आर 0 शाह, जे0** द्वारा दिया गया था।

1. आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2017 के 3177 और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2015 के 4804 में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन को स्वीकृत किया है और निजी उत्तरदाताओं - यहां मूल अभियुक्त संख्या 4, 5 और 3 - श्रीमति प्रतिमा मोहन्ती, श्री प्रकाश चन्द्र पात्रा और श्री राजेन्द्र कुमार सामल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है, से पीड़ित और असन्तुष्ट महसुस कर उड़ीसा राज्य ने वर्त्तमान अपीलों को अधिमानित किया है।

2. पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता, सतर्कता कोषांग इकाई कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, भुवनेश्वर प्रमण्डल, भुवनेश्वर के समक्ष एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि प्रारम्भिक जाँच में यह पाया गया कि कुछ लोक सेवक, जो भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (इसके बाद बी0 डी0 ए 0 के रुप में संदर्भित) और आवास और शहरी विकास विभाग, उड़ीसा सरकार (इसके बाद एच 0 एण्ड यू0 डी0 विभाग के रुप में संदर्भित) में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं, ने वाणिज्यिक परिसर जिला केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर में गुप्त रुप से प्रमुख भूखण्ड वितरित किया। यह आरोप लगाया गया था कि आपराधिक साजिश के तहत और अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके, बी0 डी0 ए 0 और एच 0 एण्ड यू0 डी0 विभाग, ओड़िसा सरकार के अधिकारियों ने चोरी छिपे प्रमुख भूखण्ड वितरित कर दिए। उपयुक्त समय पर मूल अभियुक्त संख्या 4 - श्रीमति प्रतिमा मोहन्ती उपाध्यक्ष, बी0 डी0 ए 0 के आशुलेखक के रुप में कार्यरत थीं। मूल अभियुक्त संख्या 5 - श्री प्रकाश चन्द्र पात्रा, कनिष्ठ सहायक आवंटन अनुभाग, बी0 डी0 ए 0 के रुप में कार्यरत थे और मूल अभियुक्त संख्या 3 श्री राजेन्द्र कुमार सामल, व्यवहार सहायक, आवंटन अनुभाग - II, बी0 डी0 ए 0 और मंत्री, आवास और शहरी विकास (मूल अभियुक्त संख्या 6) के निजी सहायक थे। सभी अभियुक्तों द्वारा किये गए आपराधिक साजिश के अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि बिक्री के लिए बी0 डी0 ए 0 भूखण्डों की उपलब्धता और उनकी बिक्री कीमतों के बारे में आम जनता को अवसर प्रदान करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं था। यह आरोप लगाया गया था कि आम जनता को अंधेरे में रखते हुए, बी0 डी0 ए 0 में लोक सेवकों (अभियुक्त) ने, जिनके पास अंदरुनी सूत्रों के रुप में जानकारी तक पहुंच थी, प्रमुख भूखण्डों को अपने या अपने रिश्तेदारों के बीच वितरित किया और वह भी क्षेत्र में प्रचलित दरों की तुलना में न्यूनत्तम दरों पर जिससे आवंटियों को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ और बिना किसी सार्वजनिक हित के बी0 डी0 ए 0 और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

2.1 यह भी आरोप लगाया गया कि बी0 डी0 ए 0 को गलत तरीके से 30,27,849.80 रुपये और 71,57,055.00 रुपये का नुकसान हुआ। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि सभी अभियुक्तों ने भा0 द 0 वि0 की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम के रुप में संदर्भित) की धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 (2) के

तहत अपराध किया है। प्राथमिकी को थाना कांड संख्या 2005 के 31 के रुप में क्रमांकित किया गया। चूँकि सभी अभियुक्त व्यक्ति बी0 डी0 ए 0, भुवनेश्वर में कार्यरत सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए अभियोजन के लिए स्वीकृत्यादेश प्राप्त किये गए थे। जाँच के निष्कर्ष के बाद, जाँच एजेन्सी ने तत्कालिन मंत्री, एच 0 एण्ड डी0 विभाग सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, इस आरोप पर कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों के प्रति अनुचित आधिकारिक पक्षपात दिखाकर आपराधिक कदाचार किया और 10 भूखण्डों के आवंटन में आवंटियों को अवैध आर्थिक लाभ पहुँचाया। परिणामस्वरुप, बी0 डी0 ए 0 को भारी नुकसान हुआ और इस तरह अभियुक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) और धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी भा0 द 0 वि0 के तहत अपराधों के लिए जिम्मेदार हो गये। पांचों अभियुक्त अर्थात श्री विभूति भूषण रे, श्री परसुराम बिस्वाल, श्रीमति प्रतिमा मोहन्ती, श्री राजेन्द्र कुमार सामल और श्री प्रकाश चन्द्र पात्रा ने आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2017 के 3177 और 2015 के 4804 के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की।

2.2 आक्षेपित समान निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आवेदनों को आंशिक रुप से स्वीकार कर लिया और श्रीमति प्रतिमा मोहन्ती (मूल अभियुक्त संख्या 4), श्री प्रकाश चन्द्र पात्रा (मूल अभियुक्त संख्या 5) और श्री राजेन्द्र कुमार सामल (मूल अभियुक्त संख्या 3), के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रुप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त अभियुक्तगण ने किसी भी तरीके से आवंटन अभिलेख पर कोई कार्य नहीं किया है और ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि इनमें से किसी भी अभियुक्त ने अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में अवैध रुप से भूखण्ड प्राप्त करने के लिए किसी सह-अभियुक्त या बी0 डी0 ए 0 या एच 0 एण्ड यू0 डी0 विभाग के किसी अधिकारी को प्रभावित किया हो। आगे यह भी अवलोकन किया गया अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि इन अभियुक्तगण ने पूर्व-सम्मिलित आशय से काम किया और वे खाली भूखण्डों को पाने के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश में थे।

2.3 अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) और धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी भा0 द 0 वि0 के तहत अपराधों के लिए निजी उत्तरदाताओं- मूल अभियुक्त संख्या 4, 5, और 3 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान फैसले और आदेश से व्यथित और असन्तुष्ट होकर, राज्य ने वर्त्तमान अपीलों को अधिमानित किया है।

3. अपीलकर्ता - राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) और धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी भा0 द 0 वि0 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने में गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय उच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ गया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का बिल्कुल भी मूल्यांकन और विचार नहीं किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करने के दौरान मामले के सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में यह पाया गया कि 10 भूखण्डों का आवंटन अभियुक्तगण द्वारा एक-दूसरे के साथ मिलकर मनमाने ढंग से किया गया था और भूखण्डों को अभियुक्तगण - लोक सेवकों के रिश्तेदारों को आवंटित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि बी0 डी0 ए 0 द्वारा इच्छुक खरीदारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था। अभियुक्त - अधिकारियों ने जानबूझकर मामले को आम जनता से छुपाया और इस तरह प्रतिस्पर्धा से बचे रहे। यह प्रस्तुत किया गया है कि अदिनांकित आवेदनों पर अभियुक्तगण के रिश्तेदारों और लोक सेवकों को भूखण्ड आवंटित किए गए थे। इसलिए, उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्तगण के खिलाफ सतर्कता कोषांग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई एवं गहन जांच के बाद विद्वान विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भुवनेश्वर के समक्ष आरोप पत्र समर्पित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) और भा0 द 0 वि0 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराध का मामला बनता है, विद्वान विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भुवनेश्वर ने संज्ञान लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए था।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर प्राथमिकी / तथ्य की विस्तार से जांच करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय एक लघु विचारण कर रहा था, जो धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के चरण में अनुज्ञेय नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के अनुसार पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय भी उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का बिल्कुल भी मूल्यांकन और विचार नहीं किया कि आरोप लोक सेवकों द्वारा आपराधिक साजिश रचने का था, जो सभी किसी न किसी तरह से विवेकाधीन कोटे में भूखण्ड आवंटन से जुड़े थे और आरोप भा0द0वि0 की धारा 120बी के तहत अपराध के लिए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रूप से यह देखते हुए रद्द कर दिया है कि अभियुक्त उत्तरदाताओं ने किसी भी तरीके से आवंटन अभिलेख को निपटाया नहीं है और ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि यहां अभियुक्त उत्तरदाताओं में से किसी ने अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में अवैध रूप से भूखंड प्राप्त करने के लिए किसी सह-अभियुक्त या बी0डी0ए0 या एच0 एण्ड यू0डी0 विभाग के किसी अधिकारी को प्रभावित किया हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण के समय उपरोक्त पहलुओं पर विचार करना, उन्हें स्थापित करना और साबित करना आवश्यक है। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और यह विचार किया जाना है कि कथित अपराधों के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। वर्तमान मामले में परिवार के सदस्यों को भूखंड आवंटित करने में पक्षपात और शक्तियों का दुरुपयोग करने के विशिष्ट आरोप हैं और बी0डी0ए0 और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं - अभियुक्त के रिश्तेदारों और अन्य सह-अभियुक्त लोक सेवकों ने, एक साजिश के तहत सादे कागजों पर आवेदन प्रस्तुत किये (विवरणिका में निर्धारित प्रपत्र में नहीं), जिसमें कुछ आवेदन बिना तारीख के भी थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि 10 भूखंडों का आवंटन मनमाने ढंग से किया गया था और उत्तरदाताओं - अभियुक्त ने परिवार के सदस्यों को बहुत सस्ते भाव पर भूखंड आवंटित करवा लिया। यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं - अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचकर अपने परिवार के सदस्यों को मनमाने ढंग से 10 भूखंड आवंटित करते समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में भूल की है।

4. उत्तरदाताओं - मूल अभियुक्त संख्या 4, 5 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि (i) उत्तरदाताओं - अभियुक्त की 10 खाली भूखंडों की कीमत के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है, (ii) उत्तरदाताओं - अभियुक्तों ने किसी भी तरीके से आवंटन अभिलेख पर कोई कार्य नहीं किया है, (iii) ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि तीनों अभियुक्तगण में से किसी ने अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में अवैध रूप से भूखंड प्राप्त करने के लिए किसी सह-अभियुक्त या बी0डी0ए0 या एच0 एण्ड यू0डी0 विभाग के किसी अधिकारी को प्रभावित किया हो, अभियुक्तों के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को सही ढंग से रद्द किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482

के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सही ढंग से रद्द किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद तथ्यों का मुल्यांकन करते हुए, जो आरोप पत्र का हिस्सा था, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

6. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) और धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी भा0 द 0 वि0 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने आरोपों के गुणदोषों पर विचार किया है और साक्ष्यों को विस्तार से अवलोकन करते हुए लघु विचारण किया है, जो कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के अनुसार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम् चौ0 भजन लाल और अन्य, ए 0 आई 0 आर 0 1992 एस 0 सी0 604 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और / या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने इस सामान्य नियम के अपवादों को रेखांकित किया था कि आम तौर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही / प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त सामान्य नियम के अपवादों को भजन लाल (सुप्रा) में पैरा 102 में उल्लेखित किया गया है, जो इस प्रकार है -

> ‘‘102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिसको हमने ऊपर व्यक्त किया है और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से श्रृंखलित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उल्लेखित शब्दानुरुप लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हों या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य तथ्यों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में दण्डाधिकारी के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने की खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ किसी तरह का मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि गैर-संज्ञेय 42 भाग ई० अपराध हैं, वैसे मामलों में दंडाधिकारी के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी तरह के अनुसंधान की अनुमति नहीं दी गई है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत अनुध्यात किया गया है।

(5) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने असंगत और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्थापन और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और / या जहां संहिता या किसी संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष के परिवाद के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और / या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।''

6.1 वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सतर्कता कोषांग द्वारा गहन जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला **भजन लाल** (सुप्रा) के मामले में न्यायालय द्वारा कंडिका 102 में व्यक्त किए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाताओं - अभियुक्त के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही

किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके विपरीत, आरोप गलत इरादे से शक्तियों का दुरुपयोग करने और आपराधिक साजिश रचकर परिवार के सदस्यों को भूखंड आवंटित करने और परिवार के सदस्यों को औने-पौने दाम पर भूखंड आवंटित करने का उदाहरण है, जिससे बी0 डी0 ए 0 और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।

6.2 यह सामान्य बात है कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से और सावधानी के साथ और दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। कानून के स्थापित प्रस्थापना के अनुसार, जिस प्राथमिकी / परिवाद को रद्द करने की मांग की गई है, उसका विचारण करते समय न्यायालय प्राथमिकी / परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में कोई जांच नहीं कर सकती है। किसी परिवाद / प्राथमिकी को रद्द करना किसी सामान्य नियम के बदले एक अपवाद होना चाहिए। आम तौर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जब गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किया गया हो। आरोपमुक्त करने और / या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करने के दौरान, न्यायालय को आरोपों और / या सबूतों के गुण-दोष पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वे लघु विचारण कर रहे हों। जैसा कि इस न्यायालय ने माना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदत्त करने की स्थिति में न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक अध्यवसायी कर्तव्य डालता है।

6.3 वर्तमान मामले में आरोप 10 भूखंडों के आवंटन के संबंध में थे जिन्हें विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित किया जाना था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रासंगिक समय पर उत्तरदाताओं - अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूखंडों के आवंटन के संबंध में संबंधित विभाग से जुड़े थे। अभियुक्त संख्या 4 श्रीमती प्रतिमा मोहन्ती बी.डी.ए के उपाध्यक्ष के आशुलेखक के रूप में कार्यरत थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त श्रीमती प्रतिमा मोहन्ती के भाई श्री प्रद्युम्न कुमार मोहन्ती से सादे कागज पर भूखंडों के आवंटन के लिए एक अदिनांकित आवेदन प्राप्त हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी केस है कि यद्यपि भूखंड के लिए उसके भाई के नाम पर आवेदन दिया गया था, लेकिन भूखंड के आवंटन के बाद उनका उस पर कब्जा है। जहां तक अभियुक्त संख्या 5 - श्री प्रकाश चंद्र पात्रा का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष की ओर से केस के अनुसार, उत्तरदाता - श्री प्रकाश चंद्र पात्रा (अभियुक्त संख्या 5) की भाभी मिस 0 राजलक्ष्मी सामल का सादे कागज पर भूखंड के आवंटन के लिए एक आवेदन को आवास एवं शहरी विकास मंत्री - श्री समर डे (अभियुक्त संख्या 6) द्वारा श्री पी.के पटनायक, सचिव, बी.डी.ए. को भेजा गया था। यह ज्ञातव्य है कि प्रासंगिक समय पर उक्त अभियुक्त कनिष्ट सहायक आवंटन अनुभाग, बी.डी.ए. के रूप में काम कर रहा था। उपरोक्त आवेदन के अनुसार उक्त अभियुक्त की भाभी को एक भूखंड आवंटित किया गया है। जहां तक

अभियुक्त संख्या 3 राजेंद्र कुमार सामल का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और जैसा कि आरोप लगाया गया था, उसकी पत्नी के पक्ष में भूखंड के आवंटन के लिए एक आवेदन किया गया था जो व्यवहार सहायक, आवंटन अनुभाग - II, बी.डी.ए और मंत्री, आवास एवं शहरी विकास की व्यक्तिगत सहायक थी। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन मंत्री भी मूल अभियुक्त संख्या 6 हैं। आरोप के मुताबिक आवेदन बिना किसी तारीख का था और ऐसे बिना तारीख वाले आवेदन के आधार पर प्लॉट उनकी पत्नी के पक्ष में आवंटित कर दिया गया।

7. इसलिए, उपरोक्त पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं - अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किसी भी तरह से कानून और / या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी। उत्तरदाताओं - अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अत्यंत गंभीर हैं, जिनमें विवेकाधीन कोटे के 10 भूखंडों को मनमाने ढंग से अपने परिवार के सदस्यों / रिश्तेदारों को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने का आरोप भी शामिल है। बी.डी.ए और सरकारी खजाने को हुए भारी नुकसान के संबंध में विशिष्ट आरोप हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार भूखंडों को बहुत कम कीमतों पर आवंटित किया गया था। इन सभी पहलुओं पर विचारण के चरण में विचार किया जाना आवश्यक है, न कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करते समय।

8. इस स्तर पर, **प्रादेश याचिका संख्या 2008 की 11102** में **के. राजू बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण** के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का दिनांक 15.12.2010 का निर्णय, जिसमें विवेकाधीन कोटा में भूखंडों के आवंटन के संबंध में कुछ इसी तरह की स्थिति पर विचारण किया गया था, को संदर्भित करना आवश्यक है। उस मामले में भी विवेकाधीन कोटे में अवैध और मनमाने ढंग से भूखंड आवंटन का मामला था। पीठ के लिए बोलते हुए न्यायमुर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, जे. ने पीठ द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था -

> ''यह स्थापित है कि वैधानिक शक्तियों से संपन्न एक सार्वजनिक निकाय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह अपनी शक्तियों से अधिक या अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे। उन्हें अपने प्रति सुपुर्द अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए।''
>
> ''**31.** बी.डी.ए. सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षक है। यह अपनी दानशीलता के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करने में एक व्यक्ति जितना स्वतंत्र नहीं है। संपत्तियों के आवंटन के लिए औवित्य, निष्पक्षता और गैर-मनमानापन पर आधारित एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड / प्रक्रिया विकसित करनी होगी। ऐसी कार्रवाई में, सार्वजनिक हित का प्रमुख मार्गदर्शक विचार होना चाहिए। रमाना दयाराम शेट्टी बनाम् भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण, ए.आई.आर 1979 एस.सी 1628 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इसलिए इसे कानून माना जाना चाहिए कि नौकरियों, अनुबंधों, कोटा, अनुज्ञप्ति के पुरस्कार सहित बड़े पैमाने पर अनुदान के मामले में भी,

सरकार को निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करना चाहिए और धन का कोई भी मनमाना वितरण देश के कानून का उल्लंघन होगा। कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया, (1996) 6 एस.सी.सी 530 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

आजकल सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रुप में नागरिकों को बड़ी संख्या में लाभ प्रदान करती है। यह भूखंडों, घरों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, खनिज पट्टों के अनुबंधों, कोटा और अनुज्ञप्ति आदि के आवंटन के रूप में धन वितरित करता है। सरकार विभिन्न रूपों में उदारता वितरित करती है। एक मंत्री जो संबंधित विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है, इन लाभों और उदारताओं को वितरित करता है। वह लोगों द्वारा चुना जाता है और उस पद पर पदोन्नत किया जाता है जहां वह लोगों की ओर से एक विश्वास रखता है। उसे लोगों की संपत्ति के साथ निष्पक्ष और उचित तरीके से व्यवहार करना होगा। वह लोगों द्वारा उन पर जताये गए भरोसे का उल्लंघन नहीं कर सकते। ओंकार लाल बजाज और अन्य बनाम् भारत संघ, (2003) 2 एस.सी.सी 673, सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया है, जो इस प्रकार है -

35. वाक्यांश ''सार्वजनिक हित'' या ''शासन में सत्यनिष्ठा'' जकड़जामा में नहीं डाला जा सकता। ''सार्वजनिक हित'' कई कारकों को अपने दायरे में लेता है। सार्वजनिक हित क्या है, यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। प्रत्येक मामले में परिस्थितियाँ यह निर्धारित करेंगी कि सरकारी कार्रवाई सार्वजनिक हित में की गई थी या 02-12-2021 (23 का पृष्ठ 14) www.manupatra.com माननीय श्री न्यायमूर्ति एम0आर0 शाह को शासन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए लिया गया था।

36. शासन और उसके लिए गए निर्णय के अनुकरणीय में समानता, निष्पक्षता और न्याय प्रकट होना चाहिए। कानून के शासन पर आधारित एक सभ्य समाज में शासन के मुख्य सिद्धांत में न केवल पारदर्शिता को आधार बनाना है बल्कि यह धारणा बनानी होगी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया ईमानदारी के विचार पर प्रेरित थी। सरकार को निहित स्वार्थों और भाई-भतीजावाद के गठजोड़ से ऊपर उठना होगा और दिखावा करना बंद करना होगा। शासन के कार्य को विवेकशीलता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना होगा और मनमाने या मनमौजी कार्यों से बचना होगा। इसलिए, शासन के सिद्धांतों को न्याय, समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और यदि निर्णय न्याय, समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार पर आधारित नहीं है और इसमें अन्य मामलों को ध्यान में रखा गया है, तब ऊपरी तौर पर, निर्णय वैध लग सकता है लेकिन वास्तव में, निर्णय मूल्यों पर आधारित नहीं हैं बल्कि

लोकप्रिय प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है और उस निर्णय को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8.1 **कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद यह कहा गया है कि यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करता है, चाहे वह कृत्य या अकृत्य से हो, और उसका परिणाम किसी व्यक्ति को नुकसान या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान है, तो ऐसे लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आगे यह भी कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक मनमाने तरीके से शक्तियां अपने पास जबरजस्ती नहीं रख सकता है। इस संबंध में हम इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को याद करना चाहते हैं -

> ''सार्वजनिक जवाबदेही और कार्यों के प्रदर्शन की अवधारणा अपने दायरे में उचित और समय पर कानून के अनुसार कार्रवाई को शामिल करती है। सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक दायित्व दोनों ही अच्छे प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह राज्य द्वारा हो या उसके उपकरणों द्वारा।'' [देखें **दिल्ली एयरटेक सर्विसेज (पी.) लिमिटेड बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 9 एस.सी.सी 354**]
>
> ''किसी व्यक्ति के पास जितना उच्च सार्वजनिक पद होता है, उसकी ओर से इंसाफ की मांग उतनी ही अधिक होती है।'' [देखें **चरणजीत लांबा बनाम. सेना दक्षिणी कमान, (2010) 11 एस.सी.सी 314**]
>
> ''प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय का धारक जनता की भलाई के लिए एक विश्वास रखता है और इसलिए उसके सभी कार्य निश्छल होने चाहिए।'' [देखें **पद्म बनाम् हीरालाल मोतीलाल देसरदा, (2002) 7 एस.सी.सी 564**]
>
> ''सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक जिसके आधार पर वह राज्य या सार्वजनिक निकाय की ओर से कार्य करता है, अंततः उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जिनमें संप्रभुता निहित होती है। इस प्रकार, उसमें निहित सभी शक्तियों का उपयोग सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह अनुबंध के क्षेत्र में भी सभी कार्यों के लिए समान रूप से सच है। इस प्रकार, सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक एक संरक्षक है जिसका सर्वोच्च कर्तव्य देश के लोगों के प्रति है और इसलिए, सार्वजनिक पद के धारक का प्रत्येक कार्य, उस कार्य को वर्गीकृत करने वाले स्तर के बावजूद, अंततः जनता की भलाई के लिए सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन है।'' [देखें **श्रीलेखा विद्यार्थी (कुमारी) बनाम. यूपी राज्य, (1991) 1 एस.सी.सी 212**]
>
> ''सार्वजनिक अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिए कि पारदर्शिता के युग में, अनुचित गोपनीयता की पिछली प्रथाओं के लिए अब कोई स्थान नहीं है। जवाबदेही

और भ्रष्टाचार की रोकथाम पारदर्शिता से ही संभव है।'' [देखें **आई.सी.ए.आई बनाम. शौनक एच. सत्या, (2011) 8 एस.सी.सी 781**]

इसलिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जो रिश्तेदारों और / या परिवार के सदस्यों को भूखंडों के आवंटन में अवैधता के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं, जिसके परिणामस्वरूप बी.डी.ए और सरकारी खजाना को भारी नुकसान हुआ।

9. आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की विश्वसनीयता और वास्तविकता की जांच शुरू कर दी, जबकि उच्च न्यायालय लघु विचारण कर रहा था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसमें उत्तरदाताओं - मूल अभियुक्त संख्या 4, 5 और 3 - श्रीमती प्रतिमा मोहन्ती, श्री प्रकाश चंद्र पात्रा और श्री राजेंद्र कुमार सामल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, कानून और / या तथ्यों, दोनों ही दृष्टि से अरक्षणीय नहीं है और इसे रद्द कर अपास्त कर देना चाहिए।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से वर्तमान अपीलें स्वीकृत होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को पारित आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2017 के 3177 और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2015 के 4804 में पारित समान निर्णय और आदेश, जो कि मूल अभियुक्तगण संख्या 4, 5 और 3 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित है, को रद्द एवं अपास्त किया जाता है।

उत्तरदाता संख्या 4, 5 और 3 को अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ विचारण का सामना करना पड़ेगा।

तदनुसार वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

11. समापन करने से पूर्व हम कह सकते हैं कि अब विवेकाधीन कोटा के आधार पर सरकारी उदारता के आवंटन को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा देता है। सरकार और / या बी.डी.ए जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक हैं। सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष तथा गैर-मनमाना होना चाहिए। ऐसे मामलों में सार्वजनिक हित ही सर्वोपरि मार्गदर्शक विचार होना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांत सर्वोत्तम या अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए है ताकि यह सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक हित की पूर्ति कर सके ताकि प्राधिकरण और / या सार्वजनिक खजाने को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। विवेकाधीन कोटे में भूखंडों का आवंटन सत्ता में बैठे व्यक्तियों और / या उन लोक सेवकों की मर्जी पर नहीं हो सकता जो विवेकाधीन कोटे में भूखंडों के आवंटन का काम देख रहे हैं।

जब एक लोकतांत्रिक सरकार अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी उदारता के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करती है, तो विवेक का प्रयोग वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत, समझदारी से, निष्पक्ष और गैर-मनमाने तरीके से किया जाना चाहिए और यह व्यक्तिपरक और निजी राय और / या सत्ता में बैठे व्यक्तियों और / या लोक सेवकों की सनक और पसंद के अनुसार नहीं होना चाहिए। भले ही विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के दौरान पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं और यह पाया जाता है कि कई बार उनका पालन मुश्किल से किया जाता है या विशेष परिस्थितियों के अनुरूप उनमें हेरफेर किया जाता है। इसलिए, सर्वोत्तम है कि इस तरह के विवेकाधीन कोटा को खत्म कर दिया जाए और सार्वजनिक संपत्तियों / भूखंडों का आवंटन आम तौर पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां किसी विशेष वर्ग - दलित वर्ग आदि को भूखंड आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, उस मामले में भी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवंटन में निष्पक्षता और गैर-मनमानापन प्रतिबिंबित होना चाहिए और मानदंड / प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।

लक्ष्मीकांत अपील स्वीकृत